

हरिद्वारा बनाए विनोद

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज


तारीख हुक्म

दावा

सु. नं. ५२/११७

06.06.23

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान अनुपस्थित। उभय पक्षकारान कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। उभय पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति में दावा वादपत्र बाबत ईस्ताकारान स्थाई निषेधाज्ञा को अदम हाजरी व अदम पैरवी में स्वारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों।



06/06/23
(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर

